

लेडी इर्विन महाविद्यालय
जलपान गृह सेवाओं हेतु निविदा
निविदा संख्या: LIC/CANTEEN/05-26/03

1. "जलपान गृह सेवाओं हेतु निविदा" के लिए एकल-चरणीय द्वि-बोली (Single Stage Two-Bid System) प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं। मैनुअल (हस्तलिखित/ऑफलाइन) बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

2. दस्तावेज़ डाउनलोड

निविदा दस्तावेज़ निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइटों से डाउनलोड किए जा सकते हैं:

- <https://ladyirwin.edu.in/>
- <https://lic.ewizard.in>

जैसा कि महत्वपूर्ण तिथि सारणी (Critical Date Sheet) में उल्लेखित है।

महत्वपूर्ण तिथि सारणी (CRITICAL DATE SHEET)

प्रकाशन तिथि: 05-05-2026
निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड प्रारंभ तिथि: 05-05-2026
बोली जमा करने की प्रारंभ तिथि: 05-05-2026
बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 19-05-2026
तकनीकी बोली खोलने की तिथि: 20-05-2026

3. बोली प्रस्तुत करना

बोलियाँ केवल ऑनलाइन माध्यम से निम्न वेबसाइट पर प्रस्तुत की जाएँगी: <https://lic.ewizard.in/>

सामान्य निर्देश

1. एकल निविदा प्रतिबंध

किसी ठेकेदार अथवा व्यावसायिक संबंध रखने वाले ठेकेदारों द्वारा एक से अधिक निविदाएँ प्रस्तुत नहीं की जाएँगी। किसी भी परिस्थिति में निकट संबंधी (जैसे पिता एवं पुत्र, अथवा समान हित रखने वाले साझेदार/निदेशक) अलग-अलग बोलीदाता के रूप में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। इस नियम के उल्लंघन की स्थिति में दोनों निविदाएँ निरस्त कर दी जाएँगी।

2. महाविद्यालय का अधिकार

महाविद्यालय को निविदा की जाँच के दौरान बोलीदाताओं की प्रारंभिक चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी शर्त में छूट देने अथवा मानदंडों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3. दस्तावेजों में संशोधन निषिद्ध

निविदादाता निविदा दस्तावेज़ अथवा वित्तीय बोली प्रारूप (Financial Bid Template) में किसी प्रकार की छेड़छाड़ या संशोधन नहीं करेगा। ऐसा पाए जाने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी, ईएमडी ज़ब्त कर ली जाएगी तथा संबंधित पक्ष को काली सूची (Blacklist) में डाला जा सकता है।

4. शुद्धिपत्र (Corrigendum)

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर उपरोक्त वेबसाइटों का अवलोकन करते रहें ताकि किसी भी अद्यतन सूचना, शुद्धिपत्र अथवा संशोधन की जानकारी प्राप्त हो सके।

5. निविदा शुल्क

आवेदकों को निविदा प्रपत्रों की लागत के रूप में ₹2,000/- का गैर-वापसी योग्य ई-भुगतान करना होगा।

- बैंक शुल्क का वहन आवेदक द्वारा किया जाएगा।

नोट: निविदा शुल्क के बिना प्रस्तुत आवेदन प्रथम दृष्टया अस्वीकार कर दिया जाएगा, जब तक कि उसे नियमानुसार छूट प्राप्त न हो।

6. बयाना राशि (Earnest Money Deposit - EMD)

₹1,00,000/- की ईएमडी केवल ई-भुगतान माध्यम से जमा की जानी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME/MSE) को सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 के नियम 170 के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी।

7. दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण

- सभी दस्तावेज़ बोली प्रस्तुत करते समय ऑनलाइन अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं।
- सफल बोलीदाता को महत्वपूर्ण तिथि सारणी के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
- झूठे अथवा अपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

8. पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

बोलीदाता को निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा:

विकल्प 1 : वार्षिक कारोबार (Turnover)

- पिछले 3 वित्तीय वर्षों में जलपान गृह/कैटरिंग सेवाओं से न्यूनतम ₹40 लाख का औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए।
- पिछले 3 वित्तीय वर्षों का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

विकल्प 2 : अनुभव (Experience)

- सरकारी विभागों/कॉर्पोरेट संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानों में जलपान गृह/कैटरिंग सेवाओं का अनुभव होना चाहिए।
- बोलीदाता के पास दिनांक 31.03.2026 तक पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

9. अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory Documents)

- i. लागू कानूनों के अंतर्गत फर्म/संस्था के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र।
- ii. दिल्ली सरकार (NCT of Delhi) द्वारा जारी वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं खाद्य लाइसेंस।
- iii. पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों/मंत्रालयों/सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs)/शैक्षणिक संस्थानों अथवा प्रतिष्ठित निजी संस्थानों में जलपान गृह संचालन एवं प्रबंधन के अनुभव के दस्तावेजी प्रमाण।
- iv. पिछले तीन वर्षों में जहाँ जलपान गृह सेवाएँ प्रदान की गई हैं, वहाँ से सक्षम एवं अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संतोषजनक कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र। निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार बयाना राशि (EMD)।
- v. बोलीदाता का पैन (PAN) विवरण।
- vi. अन्य वैधानिक लाइसेंसों की प्रतियाँ, यदि कोई हों।
- vii. परिशिष्ट-I (Annexure-I) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार विधिवत भरा एवं हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र (Undertaking)।
- viii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरण (ऑडिटेड अथवा UDIN सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित)।
- ix. पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न।
- x. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 के लिए सीए द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण-पत्र।

10. पैनल की वैधता (Panel Validity)

महाविद्यालय शीर्ष तीन बोलीदाताओं का एक पैनल तैयार करेगा।

- यदि H-1 बोलीदाता का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो अनुबंध अगले पात्र बोलीदाता को प्रदान किया जा सकता है।
- पैनल की वैधता : 1 वर्ष।

11. सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit)

- ₹2,50,000/- की राशि प्रदर्शन गारंटी (Performance Guarantee) के रूप में जमा करनी होगी।
- अनुबंध पूर्ण होने के बाद यह राशि वापसी योग्य होगी।
- सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- क्षति अथवा दंड की स्थिति में सुरक्षा जमा राशि से समायोजन किया जा सकेगा।

12. अनुबंध अवधि (Contract Period)

- प्रारंभिक अवधि : 2 माह (परीक्षण आधार पर)।
- इसके पश्चात : 10 माह, बशर्ते प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाए। दो माह की संतोषजनक अवधि पूर्ण होने के बाद औपचारिक अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।

13. दंड प्रावधान (Penalty Clause)

सेवाओं में बार-बार त्रुटि अथवा कमी पाए जाने की स्थिति में:

- प्रथम अवसर पर ₹50,000/- तक का दंड लगाया जा सकता है।
- बार-बार उल्लंघन होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

14. एक से अधिक H-1 बोलीदाता होने की स्थिति में चयन मानदंड

- पिछले 3 वर्षों का सर्वाधिक औसत वार्षिक कारोबार रखने वाले बोलीदाता को प्राथमिकता दी जाएगी।

15. निविदा की महत्वपूर्ण तिथि सारणी में उल्लिखित तिथि एवं समय के अनुसार बोलियाँ खोली जाएँगी। तकनीकी बोली के ऑनलाइन खुलने के पश्चात मूल्यांकन परिणाम तथा वित्तीय बोली खोलने की तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी।

16. तकनीकी बोली के ऑनलाइन खुलने के बाद पात्रता परिणाम तथा वित्तीय बोली खोलने की तिथि की सूचना अलग से प्रदान की जाएगी।

17. बोलीदाता महाविद्यालय को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए आवश्यकतानुसार अपने व्यय पर पर्याप्त बीमा कवरेज प्राप्त करेगा। बोलीदाता निम्नलिखित सहित सभी लागू वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा:

- संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम
- कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
- बाल श्रम संबंधी प्रावधान
- उपदान (ग्रेच्युटी) भुगतान अधिनियम
- समय-समय पर लागू अन्य सभी नियम, अधिनियम एवं वैधानिक आवश्यकताएँ।

बोलीदाता उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन, लापरवाही, त्रुटि या शर्तों के उल्लंघन से उत्पन्न किसी भी दावे, हानि, क्षति, देयता अथवा व्यय के लिए महाविद्यालय को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

18. बोलियाँ खोलने से पूर्व जलपान गृह समिति आवश्यकता अनुसार बोलीदाताओं के वर्तमान संचालन स्थलों का निरीक्षण कर सकती है ताकि खाद्य गुणवत्ता एवं सेवा स्तर का मूल्यांकन किया जा सके। आवश्यकता पड़ने पर खाद्य नमूनों की भी जाँच की जा सकती है।

19. यदि समिति द्वारा कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो संबंधित बोलीदाता की बोली आगे के मूल्यांकन हेतु स्वीकार नहीं की जाएगी तथा उसे खोला भी नहीं जाएगा। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

20. अनुबंध विस्तार (Extension)

जलपान गृह समिति द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाणित किए जाने पर लेडी इर्विन महाविद्यालय की निदेशक द्वारा अनुबंध को समान नियम एवं शर्तों पर अधिकतम पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

21. ठेकेदार अनुबंध अवधि के दौरान जलपान गृह अनुबंध समाप्त नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा किया जाता है, तो सुरक्षा जमा राशि ज़ब्त कर ली जाएगी।

22. जलपान गृह संचालन का अनुबंध लेडी इर्विन महाविद्यालय सोसायटी को सर्वाधिक योगदान देने वाले बोलीदाता को प्रदान किया जाएगा। न्यूनतम मासिक बोली राशि ₹25,000/- होगी, जिसका भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक करना होगा। यह राशि अप्रतिदेय होगी।

23. दरों का संशोधन (Revision of Rate)

महाविद्यालय जलपान गृह में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की दरें एवं वस्तुएँ जलपान गृह समिति एवं विक्रेता की पारस्परिक सहमति से निर्धारित की जाएँगी। अनुबंध के एक वर्ष पूर्ण होने के बाद, विस्तार की स्थिति में, ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर बाजार दर/मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 10% वार्षिक वृद्धि की अनुमति महाविद्यालय द्वारा दी जा सकती है।

24. ठेकेदार एवं उसके कर्मचारी POCSO अधिनियम तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) का पालन करेंगे।

25. जलपान गृह सेवाएँ प्रदान करने हेतु निविदा प्रस्तुत करने की अन्य शर्तें

- a) केवल न्यूनतम दर उद्धृत करने से किसी निविदादाता को अनुबंध का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम निर्णय साक्षात्कार एवं प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के बाद लिया जाएगा।
- b) ठेकेदार की फर्म पूर्व में कभी ब्लैकलिस्ट नहीं की गई हो तथा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के उल्लंघन हेतु दंडित न हुई हो। इसके लिए लेटरहेड पर स्वप्रमाणन प्रस्तुत करना होगा।
- c) ठेकेदार के पास FSSAI पंजीकरण/लाइसेंस होना अनिवार्य है। जलपान गृह संचालन हेतु आवश्यक सभी लाइसेंस एवं अनुमतियाँ प्राप्त करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
- d) ठेकेदार जलपान गृह/कैफेटेरिया संचालन से संबंधित सभी प्रचलित कानूनों का पालन करेगा तथा लाइसेंस, अनुमति आदि प्राप्त करने की सभी आवश्यक औपचारिकताएँ स्वयं पूरी करेगा। ठेकेदार द्वारा किसी भी कानूनी प्रावधान का पालन न किए जाने पर महाविद्यालय कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल ठेकेदार की होगी।
- e) श्रम कानूनों एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- f) ₹100 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर महाविद्यालय के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- g) ठेकेदार को निम्न भुगतान करने होंगे:
- h) ठेकेदार जलपान गृह परिसर (अंदर एवं आसपास) को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर बनाए रखेगा।
- i) जलपान गृह की रसोई को उच्चतम स्वच्छता मानकों के अनुसार बनाए रखा जाएगा, जिसमें नियमित कीट नियंत्रण (Pest Control) उपाय भी शामिल होंगे।
- j) ठेकेदार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतेगा। किसी भी परिस्थिति में बासी, पुराना अथवा खराब खाद्य पदार्थ/तैयारियाँ विक्रय नहीं की जाएँगी।
- k) महाविद्यालय प्रशासन को गुणवत्ता बनाए रखने हेतु जलपान गृह से खाद्य पदार्थों अथवा कच्ची सामग्री के नमूने निरीक्षण एवं परीक्षण के लिए लेने का अधिकार होगा। ऐसे नमूने केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा लिए जाएँगे।
- l) खाद्य विषाक्तता (Food Poisoning) अथवा खाद्य प्रदूषण (Contamination) की स्थिति में ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा। उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है तथा अनुबंध भी समाप्त किया जा सकता है।
- m) दिन के अंत में गहरे तेल (Deep Frying) से बचा हुआ तेल नष्ट किया जाएगा तथा अगले दिन खाना पकाने के लिए पुनः उपयोग नहीं किया जाएगा।
- n) रसोईघर एवं सेवा क्षेत्र में उपयोग होने वाले बर्तनों, खाना पकाने के उपकरणों, फर्नीचर, फिटिंग्स आदि की स्वच्छता की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। महाविद्यालय इस हेतु कोई सफ़ाई सामग्री उपलब्ध नहीं कराएगा।
- o) सभी सेवाओं के लिए स्टील अथवा पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का उपयोग किया जाएगा।
- p) ठेकेदार जलपान गृह में किसी भी प्रकार के खतरनाक रसायन, प्रतिबंधित पदार्थ, समाप्त अवधि (Expired) वाले उत्पाद अथवा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग अथवा भंडारण नहीं करेगा।

- q) ठेकेदार भोजन तैयार करने हेतु उच्च गुणवत्ता वाली ब्रांडेड सामग्री का उपयोग करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि केवल मानक गुणवत्ता की सामग्री ही उपयोग में लाई जाए। स्थानीय अथवा निम्नस्तरीय सामग्री स्वीकार्य नहीं होगी।
- r) ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारी जलपान गृह/महाविद्यालय परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्य से नहीं करेंगे। किसी भी कर्मचारी को रात्रि, अवकाश अथवा छुट्टियों के दौरान महाविद्यालय परिसर में रहने की अनुमति नहीं होगी।
- s) ठेकेदार अनुबंध को किसी अन्य विक्रेता को उप-ठेके (Sublet) पर नहीं देगा। मेन्यू अथवा सहमत वस्तुओं का कोई भाग भी किसी अन्य पक्ष को नहीं सौंपा जाएगा। किसी भी रूप में उप-ठेका निषिद्ध होगा। रसोइयों के अतिरिक्त कम से कम 3 सर्वर (Servers) नियुक्त करना अनिवार्य होगा।
- t) जलपान गृह का कोई भी कर्मचारी नाबालिग नहीं होना चाहिए।
- u) कैटर को संलग्न सूची के अनुसार प्रत्येक खाद्य वस्तु का पृथक मूल्य देना होगा। जलपान गृह में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की कीमतें यथासंभव ₹100/- से कम रखी जानी चाहिए।
- v) ठेकेदार जलपान गृह में कार्यरत कर्मचारियों की सूची उनके पहचान एवं निवास प्रमाण सहित प्रस्तुत करेगा।
- w) तैनात कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन दस्तावेज़ नियुक्ति के एक माह के भीतर महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा संबंधित व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसका स्थानापन्न कर्मचारी नियुक्त करना होगा।
- x) कर्मचारियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तत्काल दी जाएगी तथा संबंधित पहचान प्रमाण पुनः प्रस्तुत किए जाएँगे। कर्मचारियों के आचरण एवं व्यवहार की संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- y) महाविद्यालय को परिसर से बाहर जाते समय ठेकेदार के कर्मचारियों की तलाशी लेने का अधिकार होगा। इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ठेकेदार महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में पहचान-पत्र जारी करेगा।
- z) जलपान गृह कर्मचारियों की सूची संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी।
- aa) ठेकेदार के कर्मचारी समय-समय पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे तथा उनकी आवाजाही महाविद्यालय परिसर में नियंत्रित रहेगी।
- bb) ठेकेदार अपनी सभी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी होगा। जलपान गृह में होने वाली किसी भी प्रकार की हानि, चोरी अथवा नुकसान के लिए महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
- cc) ठेकेदार प्रतिदिन नाश्ता, दोपहर भोजन एवं रात्रि भोजन से संबंधित मेन्यू प्रदर्शित करेगा।
- dd) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जलपान गृह कर्मचारी निर्धारित वर्दी, दस्ताने, हेड कवर, एप्रन आदि पहनें तथा भोजन तैयार करने एवं परोसने के दौरान स्वच्छता बनाए रखें।
- ee) हाथों की स्वच्छता (Hand Hygiene)
भोजन संभालने से पहले, शौचालय उपयोग के बाद, कचरा छूने के बाद तथा गैर-खाद्य वस्तुओं को स्पर्श करने के बाद साबुन एवं पानी से हाथ धोना अनिवार्य होगा। हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग अतिरिक्त उपाय के रूप में किया जा सकता है, परंतु यह हाथ धोने का विकल्प नहीं होगा।
- ff) वर्दी एवं सुरक्षा उपकरण (Uniform and Protective Gear)

- सभी कर्मचारी स्वच्छ वर्दी पहनेंगे तथा आवश्यकता अनुसार एप्रन, दस्ताने एवं फेस मास्क का उपयोग करेंगे। कच्चे खाद्य पदार्थों को संभालने के बाद दस्ताने बदलना अनिवार्य होगा।
- gg) व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे कटे हुए नाखून, साफ हाथ एवं व्यवस्थित बाल अनिवार्य होंगे। भोजन में बाल गिरने से रोकने के लिए हेयरनेट अथवा कैप पहनना आवश्यक होगा।
- hh) ठेकेदार दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र का होना चाहिए तथा कार्य प्रारंभ होने से पूर्व निम्न दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा:
- तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची (जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, पता, आधार संख्या आदि सहित)।
 - जलपान गृह संचालन का पूर्व अनुभव एवं संबंधित लाइसेंस।
 - सभी कर्मचारियों के कोविड टीकाकरण प्रमाण-पत्र।
 - आधार प्रमाण-पत्र।
 - चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण-पत्र, जिसमें मल एवं मूत्र की जाँच तथा टाइफाइड वाहक की पहचान हेतु विडाल परीक्षण शामिल हो।
- ii) महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत खाद्य पदार्थों की दरों में ठेकेदार वृद्धि नहीं करेगा। महाविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना अनुमोदित सूची से बाहर कोई अन्य वस्तु नहीं बेची जाएगी।
- jj) महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों की सूची जलपान गृह एवं स्टाफ रूम में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी।
- kk) ठेकेदार को कचरे के संग्रहण, निष्पादन एवं निस्तारण की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा महाविद्यालय परिसर का उपयोग कचरा फेंकने के लिए नहीं किया जाएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कचरा इधर-उधर न फैले तथा उचित संख्या में डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएँ। इन डस्टबिनों में एकत्रित कचरे का उचित निस्तारण महाविद्यालय परिसर के बाहर ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
- ll) ठेकेदार को एक "शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका" (Complaint and Suggestion Book) उपलब्ध करानी होगी, जिसे शिकायत या सुझाव दर्ज करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा। यह पुस्तिका प्रत्येक माह निरीक्षण हेतु निदेशक कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी।
- mm) ठेकेदार महाविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना जलपान गृह बंद नहीं करेगा। महाविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार जलपान गृह शनिवार, रविवार, अवकाश एवं छुट्टियों के दौरान भी खुली रहेगी।
- nn) ठेकेदार सभी स्टाफ सदस्यों को टेबल सेवा (Table Service) एवं कक्ष सेवा (Room Service) उपलब्ध कराएगा।
- oo) ठेकेदार को महाविद्यालय में आयोजित बैठकों, संगोष्ठियों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों एवं अन्य आयोजनों के लिए आवश्यकता अनुसार हाई-टी, बुफे लंच/डिनर आदि की खानपान व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है।
- pp) ठेकेदार को त्वरित एवं कुशल सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त उपकरण, बर्तन एवं क्रॉकरी की व्यवस्था करनी होगी।

- qq) यदि ठेकेदार खाद्य पदार्थों की सूची में कोई नई वस्तु जोड़ना चाहता है, तो इसके लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा उसकी दर महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित कराई जाएगी।
- rr) ठेकेदार सप्ताह के दौरान दोपहर के भोजन एवं अल्पाहार (Snacks) के मेन्यू में नियमित परिवर्तन (Menu Rotation) सुनिश्चित करेगा।
- ss) अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। तथापि, यदि गंभीर कदाचार, लापरवाही अथवा ऐसे निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है जिन पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, तो निदेशक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार रखेंगे।
- tt) लेडी इर्विन महाविद्यालय (LIC) को परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार जलपान गृह संचालन से संबंधित किसी भी नियम एवं शर्त में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- uu) अनुबंध प्रदान किए जाने से पूर्व कैटरर से संलग्न सूची में उल्लिखित प्रत्येक खाद्य पदार्थ का नमूना प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
- vv) अनुबंध की समाप्ति अथवा अवधि पूर्ण होने पर महाविद्यालय की सभी संपत्तियाँ एवं सामग्री, जिनमें वे वस्तुएँ भी शामिल हैं जिनके लिए महाविद्यालय ने पृथक अनुबंध किया हो, महाविद्यालय को वापस सौंपनी होंगी।
- ww) महाविद्यालय जलपान गृह परिसर का उपयोग ठेकेदार किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं करेगा। जलपान गृह केवल लेडी इर्विन महाविद्यालय परिसर के भीतर उपस्थित ग्राहकों को ही भोजन उपलब्ध कराएगी। महाविद्यालय परिसर से किसी प्रकार की बाहरी कैटरिंग अथवा होम डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी।
- xx) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि महाविद्यालय द्वारा किसी अन्य पक्ष के साथ किए गए अनुबंध/समझौते उसके ऊपर भी लागू होंगे। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि जलपान गृह में ऐसे किसी प्रतिस्पर्धी उत्पाद की बिक्री न हो जिसके लिए महाविद्यालय ने किसी अन्य पक्ष के साथ विशिष्ट (Exclusive) समझौता किया हो।
- yy) ठेकेदार जलपान गृह में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों तथा महाविद्यालय के कार्यक्रमों के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की सर्वोत्तम गुणवत्ता बनाए रखेगा।
- zz) जलपान गृह समिति के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी (AO), अनुभाग अधिकारी (SO) अथवा निदेशक द्वारा अधिकृत कोई अन्य कर्मचारी किसी भी समय जलपान गृह का निरीक्षण कर सकते हैं ताकि भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता की स्थिति एवं कर्मचारियों के आचरण की जाँच की जा सके।
- aaa) ठेकेदार द्वारा महाविद्यालय की किसी भी संपत्ति को पहुँचाई गई क्षति की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी।
- bbb) किसी भी विवाद की स्थिति में उसे आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि विवाद का समाधान नहीं हो पाता है, तो मामला महाविद्यालय की गवर्निंग बॉडी द्वारा नियुक्त मध्यस्थ (Arbitrator) को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- ccc) शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को भोजन परोसने हेतु पर्यावरण-अनुकूल डिस्पोजेबल प्लेटें एवं कटलरी (Cutlery) उपलब्ध कराई जाएँगी।

- ddd) अन्य नियम एवं शर्तें अनुबंध को अंतिम रूप देते समय बोलीदाता एवं महाविद्यालय के बीच आपसी सहमति से निर्धारित की जाएँगी।
- eee) किसी भी विवाद की स्थिति में केवल दिल्ली स्थित न्यायालयों का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मान्य होगा।

निदेशक

निविदा प्रस्तुतिकरण

निविदा दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् तकनीकी बोली (Technical Bid) एवं वित्तीय बोली (Price Bid)।

निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपलोड करने से पूर्व बोलीदाता के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उन्हें क्रमवार संख्या प्रदान की जानी चाहिए, चाहे दस्तावेजों की सामग्री का स्वरूप कुछ भी हो।

टेलीग्राम/फैक्स/ई-मेल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

तकनीकी बोली

निविदा दस्तावेज के अनुसार ठेकेदार द्वारा तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँगे:

- 1) निविदा शुल्क (Tender Fee) की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की हुई प्रति।
- 2) जीएसटी प्रमाण-पत्र (GST Certificate), पैन संख्या (PAN No.), खाद्य लाइसेंस (Food License) आदि की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की हुई प्रति।
- 3) निगमन प्रमाण-पत्र (Incorporation Certificate) की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की हुई प्रति प्रस्तुत की जाएगी। जैसे—
 - साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी विलेख (Partnership Deed)।
 - लिमिटेड कंपनी के मामले में ज्ञापन एवं उपनियम (Memorandum and Articles of Association)।
 - एकल स्वामित्व फर्म के मामले में स्वामित्व प्रमाण-पत्र।
 - यदि फर्म स्वामित्व फर्म नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी।
 - किसी भी सरकारी विभाग/वैधानिक निकाय/सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में पंजीकरण प्रमाण-पत्र/व्यापार लाइसेंस प्रमाण-पत्र/नामांकन प्रमाण-पत्र/निगमन प्रमाण-पत्र।

4) एनआईटी (NIT) में उल्लिखित बिंदु 10 के अनुसार सहायक दस्तावेज़ों की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की हुई प्रति।

5) निविदा स्वीकृति पत्र (Tender Acceptance Letter) (परिशिष्ट-I) तथा तकनीकी डेटा शीट (Technical Data Sheet) (परिशिष्ट-II) की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की हुई प्रति।

6) ₹100/- (केवल एक सौ रुपये) के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित शपथ-पत्र (Undertaking) की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की हुई प्रति, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) तथा/अथवा केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा उन्हें काली सूची (Blacklisted) में नहीं डाला गया है।

वित्तीय बोली

(a) वित्तीय बोली घोषणा-पत्र (Price Bid Undertaking)

(b) BOQ_XXXX.xls के प्रारूप में वित्तीय बोली अनुसूची (Schedule of Price Bid)

(c) लेडी इर्विन महाविद्यालय सोसायटी को दिए जाने वाले योगदान हेतु न्यूनतम आधार बोली मूल्य ₹25,000/- (केवल पच्चीस हजार रुपये) होगा। लेडी इर्विन महाविद्यालय सोसायटी को सर्वाधिक योगदान प्रदान करने वाले बोलीदाता को H-1 घोषित किया जाएगा।

(A) वित्तीय बोली घोषणा-पत्र (PRICE BID UNDERTAKING)

प्रेषक: (बोलीदाता का पूरा नाम एवं पता)

प्रति,

निदेशक महोदया,
लेडी इर्विन महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय,
सिकंदरा रोड, नई दिल्ली – 110001

महोदया,

1. मैं/हम जलपान गृह सेवाओं तथा उससे संबंधित गतिविधियों हेतु निविदा दस्तावेज़ में वर्णित कार्यों के लिए वित्तीय बोली प्रस्तुत करते हैं।

2. मैं/हमने निविदा दस्तावेज़ में निहित सभी नियमों एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं पूर्णतः अवलोकन किया है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

3. मैं/हम परिशिष्ट-III में उल्लिखित दरों पर, सभी लागू शुल्कों सहित, कार्य करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

भवदीय,

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

परिशिष्ट – I (Annexure – I)

निविदा स्वीकृति पत्र (TENDER ACCEPTANCE LETTER)

(कंपनी/फर्म के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाए)

दिनांक: _____

प्रति,

निदेशक महोदया,
लेडी इर्विन महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय,
सिकंदरा रोड,
नई दिल्ली – 110001

विषय: "जलपान गृह सेवा हेतु निविदा" के निविदा दस्तावेज़ की शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति।

संदर्भ: NIT संख्या: _____ दिनांक: _____

महोदया,

i. मैं/हमने उपर्युक्त निविदा/कार्य हेतु निविदा दस्तावेज़ वेबसाइट <https://lic.ewizard.in> से डाउनलोड किया है।

ii. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमने निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी नियम एवं शर्तों (सभी परिशिष्टों, अनुसूचियों, आरेखों आदि सहित) को पढ़ लिया है, जो अनुबंध का अभिन्न अंग होंगे, तथा मैं/हम उनका पालन करेंगे।

iii. आपके विभाग/संस्था द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्र (Corrigendum) को भी इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखा गया है।

iv. मैं/हम उपर्युक्त निविदा दस्तावेज़ तथा उससे संबंधित सभी शुद्धिपत्रों की सभी शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं।

v. यदि तकनीकी बोली में कोई आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड नहीं किया जाता है अथवा निविदा की किसी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो विभाग/संस्था को मेरी/हमारी बोली अस्वीकार करने तथा बयाना राशि (EMD) ज़ब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

- vi. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि NIT में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ अपलोड कर दिए गए हैं।
- vii. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे पास वैध FSSAI लाइसेंस उपलब्ध है।
- viii. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि परिशिष्टों एवं अन्य संलग्न दस्तावेज़ों में दी गई सभी सूचनाएँ एवं विवरण सत्य एवं सही हैं।
- ix. मैं/हमने अपनी पात्रता सिद्ध करने हेतु आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं तथा कोई महत्वपूर्ण सूचना शेष नहीं है।
- x. मैं/हम समझते हैं कि आप प्राप्त न्यूनतम अथवा किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- xi. मैं/हम यह वचन देते हैं कि लेडी इर्विन महाविद्यालय सोसायटी को देय योगदान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जमा कर देंगे।
- xii. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हम निविदा दस्तावेज़ में वर्णित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- xiii. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमारे विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।

एजेंसी का नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर

पता: _____

परिशिष्ट – II (ANNEXURE – II)

तकनीकी डेटा शीट (TECHNICAL DATA SHEET)

महाविद्यालय ने महाविद्यालय जलपान गृह के संचालन हेतु लेडी इर्विन महाविद्यालय सोसायटी को दिए जाने वाले योगदान के लिए ₹25,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम आधार बोली निर्धारित की है तथा जलपान गृह में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों एवं महाविद्यालय कार्यक्रमों के दौरान परोसी जाने वाली बुफे प्लेट प्रणाली की दरें भी निर्धारित की हैं।

बोलीदाताओं को केवल लेडी इर्विन महाविद्यालय सोसायटी को देय योगदान राशि के आधार पर ही बोली प्रस्तुत करनी होगी।

जलपान गृह में परोसी जाने वाली वस्तुओं की स्वीकृत दरें

(APPROVED RATE FOR THE ITEMS TO BE SERVED IN CANTEEN)

क्र. सं.	वस्तु का नाम	वजन/माप
1	गर्म कॉफ़ी (Hot Coffee)	प्रति कप (150 मि.ली.)
2	आइस टी (Ice Tea)	प्रति कप (200 मि.ली.)
3	कोल्ड कॉफ़ी (Cold Coffee)	प्रति कप (200 मि.ली.)
4	चाय (Tea)	प्रति कप (100 मि.ली.)
5	नमकीन नींबू पानी	हाफ़ सेट (70 मि.ली. प्रत्येक)
6	मीठा नींबू पानी	फुल सेट (70 मि.ली. प्रत्येक)
7	जूस एवं अन्य ब्रांडेड पेय	प्रति गिलास (200 मि.ली.)
8	मिनरल वाटर (मानक)	प्रति बोतल (MRP अनुसार)
9	समोसा	प्रति नग (100 ग्राम)
10	पेस्ट्री	प्रति नग (100 ग्राम)
11	बर्गर	प्रति नग (125 ग्राम)
12	ब्रेड रोल	प्रति नग (100 ग्राम)
13	ब्रेड पकोड़ा	प्रति नग (100 ग्राम)
14	उपमा	प्रति प्लेट (150 ग्राम)
15	पालक/आलू/प्याज़ पकोड़ा	प्रति प्लेट (150 ग्राम)
16	मसाला डोसा सांभर एवं नारियल चटनी सहित	प्रति नग (150 ग्राम)
17	सादा डोसा सांभर एवं नारियल चटनी सहित	प्रति नग (100 ग्राम)
18	इडली (2 नग) सांभर एवं नारियल चटनी सहित	प्रति प्लेट (150 ग्राम)
19	वड़ा (2 नग) सांभर एवं नारियल चटनी सहित	प्रति प्लेट (150 ग्राम)
20	वेज कटलेट (2 नग)	प्रति प्लेट (150 ग्राम)

क्र. सं.	वस्तु का नाम	वजन/माप
21	मटर कुलचा (2 नग)	प्रति प्लेट (200 ग्राम)
22	मैकरोनी	प्रति प्लेट (150 ग्राम)
23	पास्ता	प्रति प्लेट (150 ग्राम)
24	आलू बोंडा	प्रति नग (50 ग्राम)
25	कचौरी (2 नग) आलू सब्ज़ी सहित	प्रति प्लेट (200 ग्राम)
26	आलू पूरी (4 नग)	प्रति प्लेट (200 ग्राम)
27	गुलाब जामुन	प्रति नग (50 ग्राम)
28	छोले भटूरे	प्रति प्लेट (250 ग्राम)
29	छोले/मौसमी सब्ज़ी	प्रति प्लेट (150 ग्राम)
30	वेज सैंडविच	प्रति नग (150 ग्राम)
31	बटर टोस्ट (ब्राउन ब्रेड) 4 स्लाइस	प्रति प्लेट
32	ब्रेड स्लाइस	4 पीस
33	बटर टोस्ट (व्हाइट ब्रेड) 4 स्लाइस	प्रति प्लेट
34	वेज चाउमीन (फुल)	प्रति प्लेट (300 ग्राम)
35	वेज चाउमीन (हाफ)	प्रति प्लेट (200 ग्राम)
36	पाव भाजी (2 पाव)	प्रति प्लेट (150 ग्राम)
37	पेटीज	प्रति नग (100 ग्राम)
38	स्प्रिंग रोल	प्रति नग (100 ग्राम)
39	फ्लेवर्ड मिल्क (FSSAI मानक)	महाविद्यालय अनुबंधानुसार
40	जूस (केवल टेट्रा पैक)	महाविद्यालय अनुबंधानुसार
41	चिली पोटेटो	प्रति प्लेट (150 ग्राम)
42	फ्राइड हॉट डॉग	प्रति नग (150 ग्राम)

दोपहर भोजन (Lunch) (1:00 बजे से 2:30 बजे तक)

क्र. सं.	वस्तु	वजन/माप
1	चावल + कढ़ी/दाल/राजमा	प्रति प्लेट (350 ग्राम)
2	सादा चावल	प्रति प्लेट (150 ग्राम)
3	पुलाव	प्रति प्लेट (150 ग्राम)
4	5 पूरियाँ/4 चपातियाँ + छोले/कढ़ी/दाल/राजमा	प्रति प्लेट (400 ग्राम)
5	नान/लच्छा परांठा	प्रति प्लेट
6	2 सादा परांठे सब्जी सहित	प्रति प्लेट (200 ग्राम)
7	फ्राइड राइस + मंचूरियन	प्रति प्लेट (200 ग्राम)
8	थाली (2 परांठे/1 नान + चावल + मौसमी सब्जी + दाल + सलाद + अचार + रायता/दही)	प्रति प्लेट
9	थाली (चावल, दाल, सब्जी, 2 तंदूरी रोटी)	प्रति प्लेट
10	थाली (चावल, दाल, सब्जी, 4 तवा रोटी)	प्रति प्लेट
11	2 स्टफ्ड परांठे अचार सहित	प्रति प्लेट (200 ग्राम)
12	ब्राउन ब्रेड/बटर टोस्ट (2 स्लाइस)	प्रति प्लेट
13	पोहा	प्रति प्लेट (150 ग्राम)
14	वड़ा पाव (2 नग/1 नग)	प्रति प्लेट
15	मौसमी फलों का शेक	250 मि.ली.
16	फ्रेश लाइम सोडा	200 मि.ली.
17	दही बड़ा	2 नग
18	नूडल्स	200 ग्राम
19	सब्जी कचौरी/प्याज़ कचौरी	2 नग
20	स्टफ्ड कुलचा/नान + रायता + अचार अथवा कुलचा/नान + छोले + रायता + अचार	2 नग

क्र. सं.	वस्तु	वजन/माप
21	ब्रेड ऑमलेट	2 अंडे + 2 ब्रेड
22	जलेबी	100 ग्राम
23	वेज चीला/दाल फ्रिट्स	1 नग

नोट: सभी दरों में जीएसटी (GST) शामिल है।

बुफे प्लेट प्रणाली (BUFFET PLATE SYSTEM)

क्र. सं.	विवरण	
1	मौसमी सब्जी + दाल/छोले/राजमा + पनीर + विभिन्न प्रकार की ब्रेड + पूरी + चावल/पुलाव + मिठाई + सलाद + पापड़ + दही बड़ा	
	इकोनॉमी लंच	
2	मौसमी सब्जी + दाल/छोले/राजमा + विभिन्न प्रकार की ब्रेड + चावल + मिठाई + सलाद	
	लंच	
3	दाल/राजमा/छोले + चावल/पूरी + सलाद	
	वर्किंग	लंच
4	आलू सब्जी + पूरी / मटर कुलचा + मिठाई + सलाद + अचार + रायता	
	इकोनॉमी	लंच
5	डोसा/उत्तपम + इडली + सांभर + नारियल चटनी	
	हाई	टी
6	सैंडविच + बेकरी बिस्कुट + वेफर्स + स्रैक्स + तीन प्रकार के पकोड़े + एक मिठाई + चाय/कॉफ़ी	

सभी क्रॉकरी (बोन चाइना/सिरेमिक) ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

नोट: उपरोक्त सभी दरें जीएसटी से पृथक (GST Extra) होंगी।

बोलीदाताओं हेतु अतिरिक्त निर्देश

(ADDITIONAL INSTRUCTIONS TO BIDDER)

बोलीदाताओं को अपनी निविदा की सॉफ्ट कॉपी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (DSC) का उपयोग करते हुए ई-विज़ार्ड पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करनी होगी। निम्नलिखित निर्देश पोर्टल पर पंजीकरण, बोली तैयार करने एवं ऑनलाइन जमा करने में सहायता हेतु दिए गए हैं। वेबसाइट: <https://lic.ewizard.in>

1. ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया

- बोलीदाताओं को "Bidder Enrolment" लिंक पर क्लिक करके तथा पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके पोर्टल <https://lic.ewizard.in> के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर पंजीकरण करना होगा।
- बोलीदाता अपने खाते के लिए एक विशिष्ट (Unique) उपयोगकर्ता नाम (Username) एवं पासवर्ड का चयन करेंगे। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अपना वैध ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर दर्ज करें। ई-विज़ार्ड पोर्टल से होने वाले सभी संचार (Communication) के लिए इनका उपयोग किया जाएगा।
- बोलीदाताओं को अपने पैन (PAN) नंबर, पंजीकरण विवरण आदि की जानकारी प्रदान करनी होगी तथा संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। उपयोगकर्ता आईडी (User ID) केवल पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही सक्रिय की जाएगी। पंजीकरण शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, खाते को सक्रिय कराने हेतु स्वीकृति प्रति (Acknowledgement Copy) हमारे हेल्पडेस्क ई-मेल आईडी ewizardhelpdesk@gmail.com पर भी भेजी जा सकती है।
- बोलीदाताओं को निविदा प्रस्तुत करने एवं पंजीकरण प्रक्रिया हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित मार्गदर्शिकाओं (Manuals) का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है। निविदा आमंत्रण प्राधिकारी/विभाग इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर की गति अथवा अन्य स्थानीय समस्याओं के कारण ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने में होने वाली किसी भी देरी या कठिनाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- बोलीदाताओं को पंजीकरण के समय अपने प्रोफाइल में भारत के नियंत्रक प्रमाणन प्राधिकरण (CCA India) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रमाणन प्राधिकरण (Certifying Authority) से जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (DSC – Class III Certificate with Signing Key and Encryption Usage) का पंजीकरण कराना होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक वैध DSC का पंजीकरण करेगा। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे कि उनका DSC किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग हेतु न दिया जाए, क्योंकि इससे दुरुपयोग की संभावना हो सकती है। विदेशी बोलीदाताओं को डिजिटल हस्ताक्षर संबंधी आवश्यकताओं हेतु पोर्टल पर उपलब्ध "DSC Details for Foreign Bidders" का संदर्भ लेना चाहिए।
- इसके पश्चात बोलीदाता अपने User ID/Password तथा DSC/e-Token के पासवर्ड का उपयोग करके सुरक्षित लॉगिन (Secure Login) के माध्यम से पोर्टल में प्रवेश करेंगे।

2. निविदा दस्तावेज़ खोज (Tender Document Search)

- ई-विजार्ड पोर्टल में विभिन्न अंतर्निहित (Built-in) विकल्प उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से बोलीदाता सक्रिय निविदाओं (Active Tenders) को विभिन्न मानकों के आधार पर खोज सकते हैं। इन मानकों में Tender ID, संगठन (Organization), स्थान (Location), तिथि (Date), मूल्य (Value) आदि शामिल हैं।
- निविदाओं की खोज के लिए उन्नत खोज (Advanced Search) का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत बोलीदाता संगठन का नाम, अनुबंध का प्रकार, स्थान, तिथि, अन्य प्रमुख शब्द (Keywords) आदि को संयोजित करके ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज कर सकते हैं।
- एक बार जब बोलीदाता अपनी रुचि की निविदा का चयन कर लेते हैं, तो वे आवश्यक दस्तावेज़ एवं निविदा अनुसूचियाँ (Tender Schedules) डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित "Interested Tenders" फोल्डर में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- इससे ऑनलाइन पोर्टल को यह सुविधा प्राप्त होगी कि यदि निविदा दस्तावेज़ से संबंधित कोई शुद्धिपत्र (Corrigendum) जारी किया जाता है, तो उसकी सूचना बोलीदाता को ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सके।
- प्रत्येक निविदा को आवंटित विशिष्ट Tender ID को बोलीदाता नोट कर लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हेल्पडेस्क से स्पष्टीकरण अथवा सहायता प्राप्त की जा सके।

3. बोली की तैयारी (Bid Preparation)

- बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा दस्तावेज़ से संबंधित जारी किए गए किसी भी शुद्धिपत्र (Corrigendum) को ध्यान में रखें।
- बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ों को समझने के लिए कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेज़ का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें।
- कृपया उन कवरों (Covers) की संख्या का ध्यान रखें जिनमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, साथ ही प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की संख्या, प्रत्येक दस्तावेज़ का नाम तथा उसकी सामग्री को भी भली-भांति समझ लें। इन आवश्यकताओं से किसी भी प्रकार का विचलन (Deviation) बोली अस्वीकृत होने का कारण बन सकता है।
- बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़/अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले सभी बोली दस्तावेज़ों को पूर्व में ही तैयार कर लेना चाहिए।

4. बोली प्रस्तुत करना (Bid Submission)

- बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय से पर्याप्त पूर्व वेबसाइट पर लॉगिन करना चाहिए ताकि वह अपनी बोली समय पर, अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय से पहले अपलोड कर सके। अन्य कारणों से होने वाली किसी भी देरी के लिए बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

- बोली प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाताओं को आवश्यक शुल्क (फॉर्म शुल्क, ईएमडी, निविदा प्रसंस्करण शुल्क आदि) का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- जहाँ लागू हो, फॉर्म शुल्क/ईएमडी के भुगतान हेतु बोलीदाता को अनुसूची में निर्दिष्ट भुगतान विकल्प (EMD/FORM FEE Section) का चयन करना होगा तथा भुगतान साधन (Instrument) का विवरण दर्ज करना होगा।
- सभी बोलीदाताओं के लिए निविदा दस्तावेज़ के साथ एक मानक BOQ प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। बोलीदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय बोली केवल निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए; अन्य कोई प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा।
- सर्वर समय (जो बोलीदाता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, बोली खोलने के समय आदि के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करते समय इसी समय का पालन करना होगा।
- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु PKI एन्क्रिप्शन तकनीक के माध्यम से एन्क्रिप्ट किए जाएंगे, जिससे बोली खोलने के समय तक उन्हें कोई अनधिकृत व्यक्ति नहीं देख सकेगा।
- अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ केवल अधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा खोले जाने के बाद ही पढ़े जा सकेंगे।
- बोली सफलतापूर्वक एवं निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत हो जाने पर पोर्टल पर सफल बोली प्रस्तुति (Successful Bid Submission) का संदेश प्रदर्शित होगा तथा बोली संख्या (Bid No.), प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय तथा अन्य संबंधित विवरणों सहित बोली सारांश (Bid Summary) प्रदर्शित किया जाएगा।
- <https://lic.ewizard.in> के माध्यम से पंजीकरण एवं बोली प्रस्तुत करने की गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्मार्ट कार्ड/e-Token के रूप में वैध क्लास-III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (DSC) होना अनिवार्य है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र अधिकृत प्रमाणन एजेंसियों (Authorized Certifying Agencies) से प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनका विवरण वेबसाइट <https://lic.ewizard.in> पर उपलब्ध 'DSC Help' लिंक के अंतर्गत देखा जा सकता है।

तकनीकी सहायता (Technical Support)

फोन: 8448288992, 9355030621

टेलीफोन: 011-49606060

ई-मेल आईडी: ewizardhelpdesk@gmail.com